

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का टिटपुरी बनाम जाल्मर S/o उमरमान मेव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 70/2018

निर्णय दिनांक :- 13-4-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टिटपुरी की आ.ख.न. 206 कुल रकबा 0.66 किरम जमीन डौ.गु.रास्ता में से 0.01 रकबा पर श्री जाल्मर पुत्र उमरमान खं मेव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर खिटेडा रिहाजा खिटेडा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का टिटपुरी द्वारा दिनांक 14-2-18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. टिटपुरी के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी जाल्मर पुत्र उमरमान खं मेव निवासी टिटपुरी को भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी श्री पञ्जेल उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 206 रकबा 0.66 में से 0.01 रकबा किरम डौ.गु.रास्ता जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित रकबा से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.87/- का 50 गुणा 44/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी टिटपुरी भू.अ.निरी. टिटपुरी को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)